

178

A584-III/08

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, जबलपुर (म.प्र.)

अपील प्रकरण क्रमांक : /2008-2009

अपीलार्थी : श्रीमती राज कुमारी बाई
 पति श्री निरंजन प्रसाद गौतम
 निवासी-343, हनुमानपुरी कमला नेहरू
 नगर वार्ड, जबलपुर (म.प्र.)

श्री सुमोद ओमम अग्रि
 द्वारा जबलपुर केम्प पर
 दिनांक 22-5-08 पर
 प्रस्तुत।

वि रु द्ध

प्रत्यर्थी :
 22-5-08

मध्य प्रदेश शासन
 द्वारा : उप पंजीयक, जबलपुर.

अपील अन्तर्गत धारा 47 (ए) (5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

CF 29-5-08

कमिश्नर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 124/बी-105/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2008 जिसके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक यथावत् रखा गया है, से परिवेदित होकर अपीलार्थी नीचे दर्शाये तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर रही है :-

29/5/08

अपील के तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थी/अनावेदिका द्वारा मौजा रानीपुर नंबर बंदोबस्त 401 पटवारी हल्का नं0 25 तहसील व जिला जबलपुर के खसरा नं0 8/2 का हिस्सा कुल रकबा 900 वर्गफुट रहवासी प्रयोजन हेतु श्री नरेश शुक्ला से 4,700/-रुपये में क्रय करने का इकरार किया एवं प्रतिफल की पूर्ण राशि चुकता कर इकरारनामा दिनांक से ही उक्त खाली भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर अपने स्वयं के व्यय से भवन निर्माण करवाकर सन् 1983-84 से लगातार उक्त भवन का टैक्स, नगर निगम में विधिवत् रूप से जमा करवाती रही।

2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा उक्त अनुबंधित सम्पत्ति का बैनामा दिनांक 13.12.2004 को विक्रेता श्री नरेश शुक्ला से अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया। उक्त निष्पादित विक्रय-विलेख को श्रीमान् उप पंजीयक जबलपुर में मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (क) (1) के तहत दिनांक 17.12.2004 को उचित बाजार मूल्य निर्धारण कर केवल भूखण्ड का ही हस्तांतरण मानकर मात्र 900 X 200 = 1,80,000/-रु.(एक लाख अस्सी हजार रुपये) संगठित कर विधिवत् प्रवितेदन श्रीमान् कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत किया।


श्री

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील 584-तीन/08

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षवादी एवं अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर
25-5-16	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 19-11-08 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रुचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

R
JK